इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79]　　　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी 2015—माघ 30, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्र. एफ बी-4-07-2014-2-पांच (07).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 47-क के साथ पठित धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा समय-समय पर विहित किया गया प्ररूप."

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(छ) **"सम्पदा" या स्टाम्पस् एवं मैनेजमेंट ऑफ प्रापर्टी एण्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन** से अभिप्रेत है, राज्य में दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक रूप से स्टाम्पित एवं रजिस्ट्रीकृत करने की कम्प्यूटरीकृत तथा वेब आधारित प्रणाली, जो सुसंगत नियमों के अधीन या राज्य सरकार अथवा महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों द्वारा अनुज्ञप्त सेवा प्रदाताओं या प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम हो.".

2. नियम 3 में, उप नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ग) निर्माण आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरें, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न हो सकेंगी, नियत करना.".

3. नियम 4 में,—

(एक) उप नियम (2) में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ, सम्पदा के माध्यम से प्राप्त प्ररूपों में प्रस्तावित मूल्यों तथा प्राथमिक आंकड़ों के रूप में निर्माण दरों, सम्पत्ति की वास्तविक दरों आदि के संबंध में संकलित जानकारी का विश्लेषण करना तथा अनंतिम मूल्यों को नियत करना.".

(ख) खण्ड (ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(खख) सम्पदा के माध्यम से अनंतिम मूल्यों को अधिसूचित करना और उन पर जनता के सुझाव आमंत्रित करना तथा उन पर विचार करना."

(ग) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) अनंतिम मूल्यों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के लिये भेजना तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिये बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना, तथा सम्पदा एप्लीकेशन पर अपलोड करना.".

(दो) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) एकत्रित किये गए आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा विहित इनपुट प्ररूपों में मूल्य प्रस्तावित करना तथा उन्हें सम्पदा के माध्यम से एकत्रित किए गए समस्त आंकड़ों तथा जानकारी के साथ संबंधित जिला मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना.".

4. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"7. **प्ररूप.**—विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों, भूमियों तथा निर्माणों आदि से संबंधित दरों / बाजार मूल्यों के प्ररूप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा यथा विहित रूप में होंगे तथा सम्पदा के माध्यम से तैयार किए जाएंगे.".

5. नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"8. **बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का प्रदाय.**—नियम 6 एवं 7 के अनुसार तैयार किए गए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तथा जन साधारण को जिला मूल्यांकन समिति के संयोजक द्वारा सम्पदा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्र. एफ बी-4-07-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-07-2014-2-पांच (07), दिनांक 19 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 19th February 2015

No. F. B-4-07-2014-2-V: (07).—In exercise of the powers conferred by Section 75 read with Section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 (No II of 1899) and all other powers hereunto enabling in that behalf the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Preparation and Revision of Market Value Guideline Rules, 2000, namely;—

AMENDMENT

In the said rules—

1. in rule 2,—

(i) For clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) 'Format' means, forms prescribed by the Inspector General of Registration from time to time.".

(ii) After clause (f). the following clause shall be added, namely:—

"(g) **'SAMPADA' or the Stamps And Management of Property And Documents Application** means the computerised and web enabled system of e-stamping and registering documents electronically in the State. accessible to Licensed Service Providers, or Users authorised under the relevant rules or by orders issued by the State Government or the Inspector General of Registration from time to time.".

2. In rule 3, in sub-rule (2). after clause (b), the following clause shall be added. namely:—

"(c) may fix rates for different categories of construction etc., which may be different for different areas.".

3. In rule 4,—

(i) in sub-rule (2),—

(a) For clause (b). the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) analyse the proposed values in the formats received through SAMPADA alongwith other information received from the Sub-District. construction rates, actual rates of the properties etc. compiled in the form of primary data and to fix the provisional values.".

(b) For clause (bb), the following clause shall be substituted, namely:—

"(bb) notify the provisional values through SAMPADA and to invite the suggestions of public thereon and to consider them.".

(c) For clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

(c) send the provisional values for approval of Central Valuation Board and to issue the market value guidelines for different areas on approval, and upload on the SAMPADA application.".

(ii) In sub-rule (4), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) analyse the data collected and to propose the values in the prescribed input forms and forward the same through SAMPADA to the respective District Valuation Committee alongwith all the data and information collected.".

4. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. **Formats.**—The formats for the Rates/Market Values pertaining to different categories of plots, lands and constructions etc. shall be as prescribed by the Inspector General of Registration and shall be prepared through the SAMPADA.".

5. For rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. **Supply of Market Value Guideline.**—The Market Value Guideline prepared as per rules 6 and 7 shall be made available to each Registering Officer and the General Public by the Convener of the District Valuation Committee by input into the SAMPADA.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.